न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 365/2023
वाद अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

1. जलौर सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. गुरचरण सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. गुरदत सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादीगण

बनाम्

1. करतार कौर पुत्री श्री करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. गुरदीप कौर पत्नी स्व. श्री मनजीत सिंह पुत्र श्री कर्म सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. रणदीप कौर पुत्री स्व. श्री मनजीत सिंह पुत्र श्री कर्म सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. रणजीत कौर पुत्री स्व. श्री मनजीत सिंह पुत्र श्री कर्म सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. गुरसेवक सिंह पुत्र स्व. श्री मनजीत सिंह पुत्र श्री कर्म सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. केवल सिंह पुत्र श्री कर्म सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. यादविन्द्र सिंह पुत्र श्री कर्म सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. गुरदीप सिंह पुत्र श्री हरबन्त सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
9. गुरमीत सिंह पुत्र श्री नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
10. जीत सिंह पुत्र श्री हरबन्त सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
11. सरजीत सिंह पुत्र श्री हरबन्त सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
12. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-
वादी की ओर से :- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :-

वादीगण जलौर सिंह व अन्य ने प्रतिवादीगण करतार कौर वगैरा के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि तहसील संगरिया के चक 2 के.एस.डी. के विवादित खाता सं. 64/56 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1, 6, 7 एवं मृतक मनजीत सिंह के नाम से 1.590 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है [illegible] ऑनलाईन होने से पहले उक्त खाता की कृषि भूमि खाता सं. 57/5[illegible] थी। लेकिन खाता ऑनलाईन होने के पश्चात् खाता सं. 64/56 की [illegible] बनते समय उक्त खाता में मुखत्यार सिंह पुत्र श्री केवल सिंह नाम अनावश्[illegible] अंकित हो गया लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि उक्त खाता सं. 64/5[illegible] केवल मात्र मनजीत सिंह पुत्र श्री मुखत्यार सिंह ही दर्ज होना था तथा [illegible] है. हिस्सा दर्ज होना था। इसी प्रकार इसी चक 2 के.एस.डी. के विवादित [illegible] सं. 69/54 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में प्रतिवादी सं. 8 ता 11 के नाम से 2.100 है. कृषि भूमि तथा इसी प्रकार इसी चक 2 के.एस.डी. के विवादित खाता सं. 70/60 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में प्रतिवादी सं. 8 ता 11 के नाम से 1.734 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त चकों के खातों की

लगातार --2

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.06.18 17:42:11
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपियां सलंग्न वाद पत्र है। यह कि तहसील संगरिया के चक 2 के.एस.डी. के विवादित खाता सं. 64/56 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1, 6, 7 एवं मृतक मनजीत सिंह के नाम से 1.590 है. कृषि भूमि, इसी प्रकार इसी चक 2 के.एस.डी. के विवादित खाता सं. 69/54 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में प्रतिवादी सं. 8 ता 11 के नाम से 2.100 है. कृषि भूमि तथा इसी प्रकार इसी चक 2 के.एस.डी. के विवादित खाता सं. 70/60 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में प्रतिवादी सं. 8 ता 11 के नाम से 1.734 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त कृषि भूमि का पंचायत ने वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 11 के मध्य राजीनामा एवं बंटवारा करवा दिया। उक्त बंटवारा में प्रतिवादी सं. 1, 2 ता 4 ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का परित्याग वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 5 ता 11 के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया है। मुताबिक बंटवारा तहसील संगरिया के चक 2 के.एस.डी. के विवादित खाता सं. 64/56 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 5 ता 11 की कब्जाकाश्त में 1.999 है. कृषि भूमि में से वादीगण को 0.266 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के, प्रतिवादी सं. 5 को 0.337 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 6 व 7 को 0.929 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के, प्रतिवादी सं. 8 ता 11 को 0.467 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 एवं मृतक मनजीत सिंह का नाम कलमजन करवाना चाहते है तथा इसी प्रकार इसी चक 2 के.एस.डी. के विवादित खाता सं. 69/54 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में प्रतिवादी सं. 8 ता 11 के नाम से 2.100 है. कृषि भूमि में से वादीगण को 0.253 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 8 ता 11 का हिस्सा कम करवाना चाहते है तथा इसी प्रकार इसी चक 2 के.एस.डी. के विवादित खाता सं. 70/60 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में प्रतिवादी सं. 8 ता 11 के नाम से 1.734 है. कृषि भूमि में से वादीगण को 0.025 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 8 ता 11 का हिस्सा कम करवाना चाहते है। बंटवारा एवं कब्जाकाश्त बाबत् किसी भी सहखातेदार व सहकाश्तकारान के साथ किसी भी प्रकार का कोई विवाद नही है। वादीगण सहखातेदारान व सहकाश्तकारान के साथ हुए बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 5 ता 11 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से है :-

(क) वादीगण जलौर सिंह, गुरचरण सिंह, गुरदत सिंह पुत्रगण श्री करनैल सिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

चक 2 के.एस.डी. खाता सं. 64/54 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.	
166/123	79	20/0.177 है.	
165/123	80	6/1/0.089 है.,	कुल 0.266 है. कृषि भूमि

चक 2 के.एस.डी. खाता सं. 69/54 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
166/123	79	21/0.253 है.
		कुल 0.253 है. कृषि भूमि

चक 2 के.एस.डी. खाता सं. 70/60 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.	
166/124	86	1/0.025 है.	कुल 0.025 है. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 5 ता 7 क्रमशः गुरसेवक सिंह पुत्र मनजीत सिंह(0.337 [illegible] कृषि भूमि ब.हि.ब.) [illegible] भूमि), केवल सिंह, यादविन्द्र सिंह(0.929 है. कृषि भूमि ब.हि.ब.) [illegible] कर्म सिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण संतपुरा तहसील संगरिया [illegible] हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :-

चक 2 के.एस.डी. खाता सं. 64/54 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
166/124	86	9/0.253 है., 11/0.178 है., 12,19/0.253 है.प्र., 20/0.215 है., 22/0.114 है.
		कुल 1.266 है. कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 8 ता 11 क्रमशः गुरदीप सिंह पुत्र श्री हरबन्त सिंह, गुरमीत सिंह

लगातार --3

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.06.18 17:42:11
Reason: SelfAttested

पुत्र श्री नक्षत्र सिंह, जीत सिंह पुत्र श्री हरबन्त सिंह, सरजीत सिंह पुत्र श्री हरबन्त सिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

चक 2 के.एस.डी. खाता सं. 64/54 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
165/123	80	6/2/0.051 है.
166/123	86	10/0.253 है., 11/0.075 है.
163/121	71	6/2/0.025 है., 15/2/0.025 है.
164/121	70	5/2/0.038 है. कुल 0.467 है. कृषि भूमि

चक 2 के.एस.डी. खाता सं. 69/54 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
164/120	65	23,24/0.253 है.प्र.
164/121	70	1/1/0.038 है., 1/2/0.089 है., 2,3,4/0.253 है.प्र.
165/123	80	15/0.202 है., 16/0.253 है.
		कुल 1.847 है. कृषि भूमि

चक 2 के.एस.डी. खाता सं. 70/60 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
163/121	71	6/1/0.228 है., 15/1/0.228 है.
164/121	70	5/1/0.215 है., 9/1/0.152 है., 9/2/0.013 है., 10/0.228 है., 11/0.253 है., 12/0.164 है.
166/124	86	1/0.228 है.
		कुल 1.709 है. कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 11 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादीगण खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 11 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण का हित एवं स्वत्व निहित है। वादीगण ने वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादीगण खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 11 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा सहमति का जवाब दावा पेश किया गया जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 11 द्वारा राजीनामा पेश किया गया जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 12 का जवाब स्टेट पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 2 के.एस.डी. के विवादित खाता सं. 64/56 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74, चक 2 के.एस.डी. के विवादित खाता सं. 69/54 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 एवं चक 2 के.एस.डी. के विवादित खाता सं. 70/60 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 की जमाबन्दीयों की प्रतियां पेश की गई जो प्रदर्श-1 ता 3 है। साक्ष्य वादीगण में वादी सं. 1 का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादीगण के अभिभाषक ने कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 11 संयुक्त खाता के काश्तकार है तथा आपस में कोई विरोध नही है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 11 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र में घोषणा एवं खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादीगण ने राजीनामा अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादीगण ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

लगातार --4

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K Meena
Date: 2024.06.18 17:42:11 I
Reason: SelfAttested

वाद पत्र में वर्णित आराजी तहसील संगरिया के चक 2 के.एस.डी. के विवादित खाता सं. 64/56 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1, 6, 7 एवं मृतक मनजीत सिंह के नाम से 1.590 है. कृषि भूमि, चक 2 के.एस.डी. के खाता सं. 69/54 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में प्रतिवादी सं. 8 ता 11 के नाम से 2.100 है. कृषि भूमि तथा इसी प्रकार इसी चक 2 के.एस.डी. के खाता सं. 70/60 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में प्रतिवादी सं. 8 ता 11 के नाम से 1.734 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत किये होने के कारण तथा वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 11 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 11 संयुक्त खाता के काश्तकार है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक राजीनामानुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि :-

(क) **वादीगण जलौर सिंह, गुरचरण सिंह, गुरदत सिंह पुत्रगण श्री करनैल सिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-**

चक 2 के.एस.डी. खाता सं. 64/54 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.	
166/123	79	20/0.177 है.	
165/123	80	6/1/0.089 है.,	कुल 0.266 है. कृषि भूमि

चक 2 के.एस.डी. खाता सं. 69/54 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
166/123	79	21/0.253 है.
		कुल 0.253 है. कृषि भूमि

चक 2 के.एस.डी. खाता सं. 70/60 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.	
166/124	86	1/0.025 है.	कुल 0.025 है. कृषि भूमि

(ख) **प्रतिवादी सं. 5 ता 7 क्रमशः गुरसेवक सिंह पुत्र मनजीत सिंह(0.337 है. कृषि भूमि), केवल सिंह, यादविन्द्र सिंह(0.929 है. कृषि भूमि ब.हि.ब.) पुत्रगण श्री करनैल सिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :-**

चक 2 के.एस.डी. खाता सं. 64/54 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
166/124	86	9/0.253 है., 11/0.178 है., 12,19/0.253 है.प्र., 20/0.215 है., 22/0.114 है.
		कुल 1.266 है. कृषि भूमि

(ग) **प्रतिवादी सं. 8 ता 11 क्रमशः गुरदीप सिंह पुत्र श्री हरबन्त सिंह, गुरमीत सिंह पुत्र श्री नक्षत्र सिंह, जीत सिंह पुत्र श्री हरबन्त सिंह, सरजीत सिंह पुत्र श्री हरबन्त सिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-**

चक 2 के.एस.डी. खाता सं. 64/54 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.	
165/123	80	6/2/0.051 है.	
166/123	86	10/0.253 है., 11/0.075 है.	
163/121	71	6/2/0.025 है., 15/2/0.025 है.	
164/121	70	5/2/0.038 है.	कुल 0.467 है. कृषि भूमि

चक 2 के.एस.डी. खाता सं. 69/54 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
164/120	65	23,24/0.253 है.प्र.
164/121	70	1/1/0.038 है., 1/2/0.089 है., 2,3,4/0.253 है.प्र.
165/123	80	15/0.202 है., 16/0.253 है.
		कुल 1.847 है. कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.06.18 17:42:11 IST
Reason: SelfAttested

लगातार --5

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

चक 2 के.एस.डी. खाता सं. 70/60 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
163/121	71	6/1/0.228 है., 15/1/0.228 है.
164/121	70	5/1/0.215 है., 9/1/0.152 है., 9/2/0.013 है., 10/0.228 है., 11/0.253 है., 12/0.164 है.
166/124	86	1/0.228 है.
		कुल 1.709 है. कृषि भूमि

उपरोक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 5 ता 11 के नाम से कृषि भूमि दर्ज की जाकर करतार कौर, मुखत्यार सिंह, मनजीत सिंह का नाम कलमजन कर खाता अलग से कायम किया जाकर रकमराज अलग से कायम किया जावे।

नोटः- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07-06-24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.06.18 17:42:1
Reason: SelfAttested

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारीः- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 365/2023

जलौर सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
गुरचरण सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
गुरदत सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादीगण

बनाम्

करतार कौर पुत्री श्री करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
गुरदीप कौर पत्नी स्व. श्री मनजीत सिंह पुत्र श्री कर्म सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
रणदीप कौर पुत्री स्व. श्री मनजीत सिंह पुत्र श्री कर्म सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
रणजीत कौर पुत्री स्व. श्री मनजीत सिंह पुत्र श्री कर्म सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
गुरसेवक सिंह पुत्र स्व. श्री मनजीत सिंह पुत्र श्री कर्म सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
केवल सिंह पुत्र श्री कर्म सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
यादविन्द्र सिंह पुत्र श्री कर्म सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
गुरदीप सिंह पुत्र श्री हरबन्त सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
गुरमीत सिंह पुत्र श्री नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
जीत सिंह पुत्र श्री हरबन्त सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
सरजीत सिंह पुत्र श्री हरबन्त सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :– ....

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री महावीर बेरड़** वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप मुण्ड वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 11 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण जलौर सिंह, गुरचरण सिंह, गुरदत सिंह पुत्रगण श्री करनैल सिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की ब.हि.ब. कृषि भूमि :–

चक 2 के.एस.डी. खाता सं. 64/54 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
166/123	79	20/0.177 है.
165/123	80	6/1/0.089 है., कुल 0.266 है. कृषि भूमि

चक 2 के.एस.डी. खाता सं. 69/54 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
166/123	79	21/0.253 है.
		कुल 0.253 है. कृषि भूमि

लगातार --2

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.06.18 17:42:11 IST
Reason: SelfAttested